Revenue Department

6 Reforms undertaken by Revenue Department

6.1 Notification to provide 'Change of land use' service online through Single Window Portal of the State

The online application module for the applications for Change of Land Use has been developed to facilitate online application submission, tracking and provision of approval certificates. The applications for the service can be submitted online through the portal http://landuse.uk.gov.in or through the Single Window System i.e. https://www.investuttarakhand.com

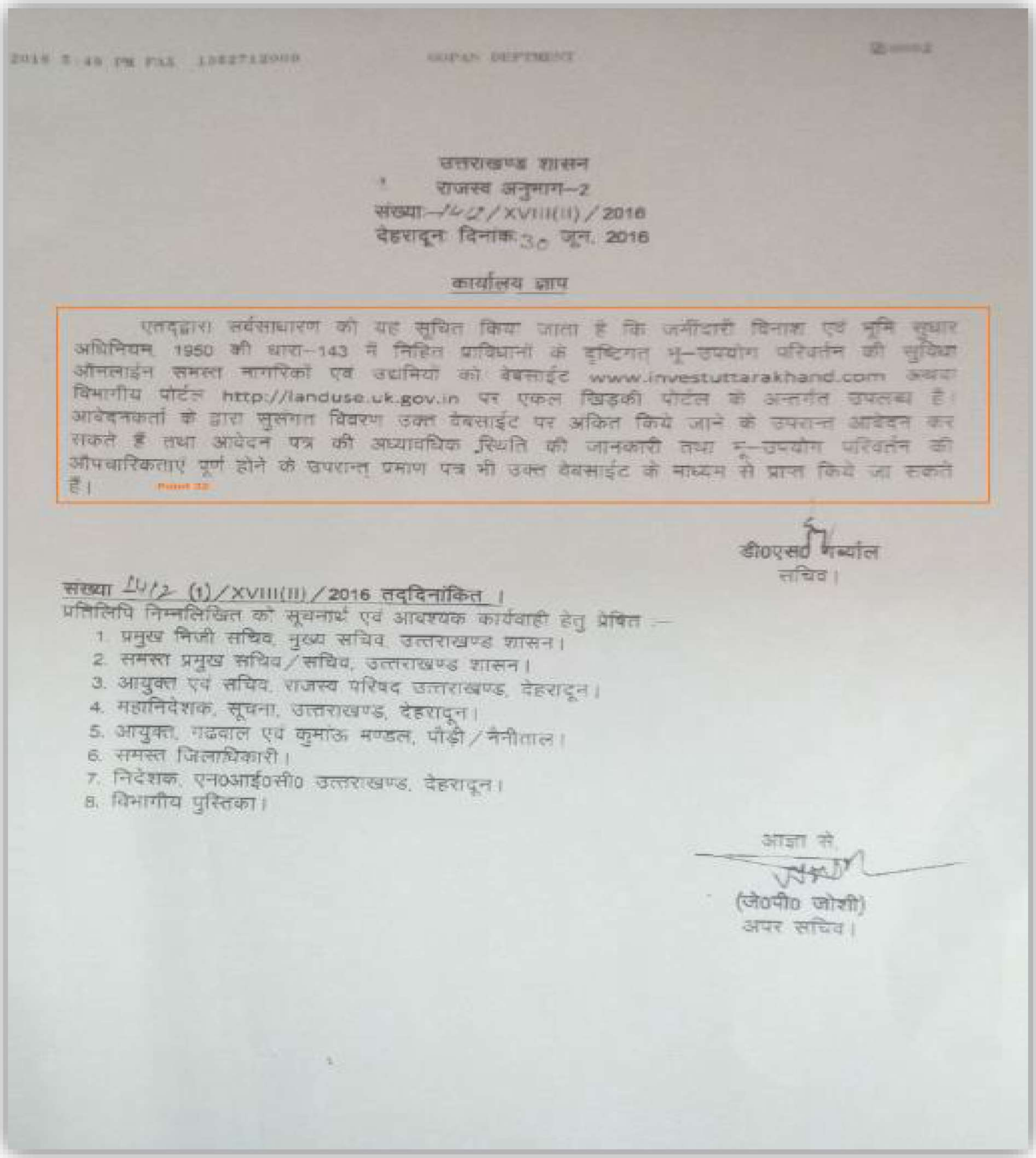

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–2
संख्या–142/XVIII(II)/2016
देहरादून: दिनांक 30 जून, 2016

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा–143 में निहित प्राविधानों के दृष्टिगत भू–उपयोग परिवर्तन की सुविधा ऑनलाईन समस्त नागरिकों एवं उद्यमियों को वेबसाईट www.investuttarakhand.com अथवा विभागीय पोर्टल http://landuse.uk.gov.in पर एकल खिड़की पोर्टल के अन्तर्गत उपलब्ध है। आवेदनकर्ता के द्वारा सुसंगत विवरण उक्त वेबसाईट पर अंकित किये जाने के उपरान्त आवेदन कर सकते हैं तथा आवेदन पत्र की अध्यावधिक स्थिति की जानकारी तथा भू–उपयोग परिवर्तन की औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त प्रमाण पत्र भी उक्त वेबसाईट के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते हैं।

डी0एस0 गर्ब्याल
सचिव।

संख्या 142 (1)/XVIII(II)/2016 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महानिदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमांऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6. समस्त जिलाधिकारी।
7. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. विभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,
(जे0पी0 जोशी)
अपर सचिव।

6.2 Creation of Revenue Court Management System

The Department of Revenue, Government of Uttarakhand has developed Revenue Court Management System which allows the potential buyer of land to verify the disputes and encumbrances on the land. The RCMS combines the databases of Revenue Department, Urban Development Directorate and Judicial databases to get complete information on the encumbrances on the particular piece of land.

प्रेषक, संख्याः 4329 / RCCMS–रा0प0 / 2017

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

1. मण्डलायुक्त,
   गढ़वाल मण्डल पौड़ी / कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तराखण्ड।

रा0प0 (रा0न्या0क0) देहरादूनः दिनांकः 31 अक्टूबर, 2017 ।

विषयः–राजस्व विभाग के राजस्व न्यायालय प्रबन्धन प्रणाली (Revenue Court Management System) की वेबसाईट http://rcms.uk.gov.in के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया, उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि राजस्व परिषद् द्वारा राजस्व विभाग के न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किये जाने हेतु राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश से लिये गये राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (Revenue Court Computerised Management System) सम्बन्धी वेब एप्लीकेशन को प्रदेश में संचालित करवाये जाने हेतु एन0आई0सी0 द्वारा यथा आवश्यक संशोधन के साथ राजस्व न्यायालय प्रबन्धन प्रणाली (Revenue Court Management System) का वेब एप्लीकेशन http://rcms.uk.gov.in विकसित कर नियमानुसार पब्लिक डोमेन में होस्ट कर दिया गया है, जो कि राजस्व विभाग की भू–अभिलेखों से सम्बन्धित वेब एप्लीकेशन्स से इन्ट्रीग्रेटेड है।

अतः उपरोक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व विभाग के न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किये जाने हेतु विकसित राजस्व न्यायालय प्रबन्धन प्रणाली (Revenue Court Management System) की वेब एप्लीकेशन http://rcms.uk.gov.in को प्रदेश स्तर पर कियान्वित करवाये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त यदि वर्णित वेब एप्लीकेशन के कियान्वयन में किसी प्रकार की तकनीकी सहायता की आवश्यकता हो तो श्री मदन मोहन, तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, राजस्व परिषद् (ई–मेल–madanm@nic.in एवं मोबाईल–09412054699) से सम्पर्क स्थापित करने एवं तदनुसार परिषद् को भी सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0एन0 पाण्डे) 31.10.2017
आयुक्त एवं सचिव

<u>संख्याः एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड को मा0 अध्यक्ष के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास विभाग, देहरादून।
3. सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व विभाग, देहरादून।
4. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून को उपरोक्त के कम में इस आशय से प्रेषित कि वर्णित वेब एप्लीकेशन को प्रदेश स्तर पर कियान्वित करवाये जाने हेतु अपने स्तर से जिला सूचना विज्ञान अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्त के कम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. **समस्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तराखण्ड।**
7. **कार्यालय प्रति।**

आयुक्त एवं सचिव